क्रम सं॰	कार्य का नाम	मार्च, 1994 तक खर्च (लाख रु॰)
1.	रा॰ रा॰ 3 पर 573.0 से 590/6 कि॰मी॰ (इन्दौर-देवास खंड) में मौजूदा दो लेन वाली सड़क को चार लेन का बनाना और मजबूत करना।	1.78
2.	रा॰ रा॰ 26 पर 267 कि॰मी॰ से 276 कि॰मी॰ तक को चौड़ा करके दो लेन का बनाना।	1.70

चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है इसलिए वित्तीय सहायता का कोई प्रश्न नहीं है पिछले तीन वर्षों में आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अंतर राज्यीय सड़कों के लिए किसी निर्माण कार्य को संस्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) जी नहीं, ये कार्य अभी निर्माण-पूर्व अवस्था में हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Scheme for Road Development in Priority List

3025. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether during the Eighth Five Year Plan about 20 new Research and Development schemes have been modified in priority list;

(b) if so, how many of them have so far been started;

(c) how many of them have been started in 1992 and 1993 and till 30th June in 1994;

(d) what was the amount so far utilised State-wise;

(e) whether any new highways are being planned in Gujarat; and

(f) if so, by what time work on these projects is likely to be started; and if not,
the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a). Yes, Sir. List has been modified.

(b) Thirteen.

(c) Nil in 1992 Eight in 1993. Five in 1994.

(d) Funds under Research and Development Schemes are not released Slate-wise, but scheme-wise. During last three years amount released for these schemes is as under:—

Year	Amount released (Rs. in lakh)
1992-93.....	146.13
1993-94.....	.....
1994-95.....	.....
	(upto July 1994)

(e) No new National Highway is being planned in Gujarat.

(f) Does not arise.

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

3026. **श्री गोविन्दराव आदिक:**
श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप दी है;

(ख) सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाया है;

(ग) इस मानदंड के अनुसार राज्यों को आवंटित की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों में राजमार्गों के रख-रखाव पर अधिक धन व्यय होता है तथा इस कारण कुछ राज्य सरकारों ने अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार इस संबंध में क्या निर्णय लेने का विचार रखती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क). जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के मामले में राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करती है।

(ख) से (च) प्रति वर्ष उस समय लागू दरों पर मानदंडों के अनुरूप निधियों की अपेक्षा निर्धारित की जाती है। अपेक्षाओं का निर्धारण करते समय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रीमियम जोड़ा जाता है। तथापि, रख-रखाव के लिए वास्तव में उपलब्ध कराई गई समग्र निधियों में से वास्तविक आबंटन यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए 1994-95 में विभिन्न राज्यों को अभी तक जारी की गई राशि विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई राशि

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अब तक जारी की गई राशि (7/94) तक
1.	आंध्र प्रदेश	825.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.50
3.	असम	714.34
4.	बिहार	581.78
5.	चंडीगढ़	8.00
6.	दिल्ली	70.00
7.	गोवा	279.01
8.	गुजरात	417.20
9.	हरियाणा	218.37
10.	हिमाचल प्रदेश	271.28
11.	जम्मू कश्मीर	15.50
12.	कर्नाटक	511.00
13.	केरल	293.83
14.	मध्य प्रदेश	665.56
15.	महाराष्ट्र	833.40
16.	मणिपुर	45.00
17.	मेघालय	185.21
18.	नागालैंड	2.00
19.	उड़ीसा	446.94
20.	पाण्डीचेरी	6.52
21.	पंजाब	323.78
22.	राजस्थान	659.03
23.	तमिलनाडु	655.59
24.	उत्तर प्रदेश	784.42
25.	पश्चिम बंगाल	781.61

National Shipping Board

3027. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the composition and terms of reference of the re-constituted Shipping Board;

(b) when was it re-constituted and how many times it had met since then;

(c) what were the subjects discussed in the said meetings and the outcome thereof; and

(d) what is the status of the recommendations, if any, made by the Board?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a). The following is the compsition of the National Shipping Board:—

(i) Six Members elected by Parliament, four by the House of the People from amongst its members